

पटना विश्वविद्यालय
अभिषद की बैठक दिनांक 20.08.2018 का वृत्त
उपस्थिति

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. प्रो० (डॉ०) रास बिहारी प्रसाद सिंह, कुलपति, सभापति के आसन पर | 3. डॉ० एन० के० ज्ञा |
| 2. प्रो० डॉली सिन्हा | 5. डॉ० सुधाकर प्रसाद सिंह |
| 4. डॉ० जी० के० पलाई | 7. श्रीमती सागरिका चौधरी |
| 6. डॉ० मुरारी शरण मांगिलक | 9. डॉ० खगेन्द्र कुमार |
| 8. डॉ० पी० के० पोद्वार | 11. डॉ० बी० एन० पाण्डेय |
| 10. डॉ० पुनम सिंह | 13. डॉ० गोविन्द कुमार |
| 12. डॉ० अजय कुमार पाण्डेय | |
| 14. श्री अब्दुल कर्यूम अंसारी | |

बैठक के प्रारंभ में कुलपति के प्रस्ताव पर अभिषद के सभी सदस्यों ने लोकप्रिय राजनेता एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी के निधन पर श्रद्धांजली दी ।

1. दिनांक 30.06.2018 को हुई अभिषद की बैठक के वृत्त की पुष्टि ।

सर्वसम्मति से दिनांक 30.06.2018 को हुई अभिषद की बैठक के वृत्त को पुष्ट किया गया ।

2. दिनांक 30.06.2018 को हुई अभिषद की बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन ।

सर्वसम्मति से दिनांक 30.06.2018 को हुई अभिषद की बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदन को अनुमोदित किया गया । परन्तु डा० शशि शर्मा के मामले में महामहिम कुलाधिपति महोदय के आदेश संख्या PU-34/2018-1853/GS(I) दिनांक 16.07.2018 के आलोक में इनके रद्द की गयी प्रोन्नति को पुर्ववहाल कर दिया गया तथा पटना विश्वविद्यालय अधिसूचना ज्ञाप संख्या-जी/1870/आर दिनांक 16.07.2018 द्वारा अधिसूचित किया गया ।

3. अभिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुशंसित गृह विज्ञान (Home Science) विषय में सहायक प्राचार्य के पद पर की गई नियुक्ति की अधिसूचना ज्ञाप संख्या-जी/3990 दिनांक 09.07.2018 की संपुष्टि पर विचार ।

सर्वसम्मति से अभिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुशंसित गृह विज्ञान (Home Science) विषय में सहायक प्राचार्य के पद पर की गई नियुक्ति की अधिसूचना ज्ञाप संख्या-जी/3990 दिनांक 09.07.2018 को सम्पुष्ट किया गया ।



20/08/18

4. डा० अवधेश कुमार, सहायक प्राचार्य, भूगोल विभाग, पटना वीमेंस कॉलेज, पटना को विश्वविद्यालय अधिसूचना ज्ञापांक जी/593 दिनांक 01.04.2017 द्वारा की गई निलंबन की सम्पुष्टि पर विचार ।

सर्वसम्मति से डा० अवधेश कुमार, सहायक प्राचार्य, भूगोल विभाग, पटना वीमेंस कॉलेज, पटना को विश्वविद्यालय अधिसूचना ज्ञापांक जी/593 दिनांक 01.04.2017 द्वारा की गई निलंबन को सम्पुष्ट किया गया ।

5. पी०एच०डी० नामांकन से संबंधित अभिषद द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 20.07.2018 के प्रतिवेदन पर विचार ।

सर्वसम्मति से पी०एच०डी० नामांकन से संबंधित अभिषद द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 20.07.2018 के प्रतिवेदन को आंशिक संशोधन करते हुए अनुमोदित किया गया :

आंशिक संशोधन –

“जे०आर०एफ० की तरह पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी (तीन वर्ष से अधिक अनुभव वाले) को भी 10 अंक दिया जायेगा ।”

6. विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 16.08.2018 में लिये गये संकल्पों पर विचार ।

सर्वसम्मति से विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 16.08.2018 में लिये गये निर्णयों को अनुमोदित किया गया ।

7. प्रो०(डा०) लालकेश्वर प्रसाद सिंह, विश्वविद्यालय प्राचार्य (निलंबित), भूगोल विभाग, पटना विश्वविद्यालय को परिनियमानुसार निलंबन अवधि में सिर्फ जीवन यापन भत्ता दिये जाने पर विचार ।

सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि प्रो० लालकेश्वर प्रसाद सिंह अभी न्यायिक हिरासत में है ऐसे में उनको मिलने वाली जीवन यापन भत्ता की राशि उनकी पत्ती के खाते में भेजना विधिसम्मत नहीं है ।

8. अन्य विषय –

(1) डॉ० मो० आलमगीर (निलंबित एसोसिएट प्रोफेसर), व्यावहारिक अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य विभाग, पटना विश्वविद्यालय को पटना विश्वविद्यालय अधिसूचना ज्ञाप संख्या-1901/आर दिनांक 16.08.2018 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बन समाप्ति की सम्पुष्टि पर विचार ।


सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डॉ० मो० आलमगीर (निलंबित), एसोसिएट प्रोफेसर, व्यावहारिक अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य विभाग, पटना विश्वविद्यालय द्वारा ग्रहणाधिकार अवकाश अवधि में मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना में परीक्षा नियंत्रक पद पर रहते हुये बरती गयी अनियमितता एवं उनपर लगाए गये आरोपों को न्यायमुर्ति, श्री सदानन्द मुखर्जी, जॉच समिति के प्रतिवेदन एवं विश्वविद्यालय द्वारा गठित जॉच समिति का प्रतिवेदन में सही पाया गया ।


उपरोक्त दोनों जॉच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर पटना विश्वविद्यालय परिनियत अनुशासन समिति के निर्णय के आलोक में ३०० मो० आलमगीर को किसी भी प्रकार के प्रोन्नति नहीं दी जायगी। साथ ही निलंबन अवधि का जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

(2) यह भी निर्णय लिया गया कि पटना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विधार्थी भारतीय लिबास में डिग्रियाँ लेंगे। कपड़े का रंग भुरा होगा। वही छात्र-छात्रा दोनों मधुबनी पेंटिंग किया हुआ स्कॉर्ल धारण करेंगे। स्कॉर्ल पर पटना विश्वविद्यालय का लोगो भी रहेगा।

छात्र शेरवानी जैसे कपड़े पहनंगे तो छात्राएँ सलवार-सूट। यह कपड़ा विश्वविद्यालय ही देगा। इसके एवज में प्रत्येक विधार्थी को रु. 1200/- (बारह सौ) मात्र जमा करना होगा। कपड़ा लौटाने पर रु० 900/- (नौ सौ) मात्र वापस किया जायेगा।

अनुमोदित।


(रास बिहारी प्रसाद सिंह) 20/08/18
कुलपति
पटना विश्वविद्यालय, पटना।


(कर्नल मनोज मिश्रा)
कुलसचिव
पटना विश्वविद्यालय, पटना।